# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 176ए/2025 G.C.M.S. No. 2025/803 दर्ज दिनांक : 03.11.2025**

**अपीलार्थिगण:**

1. भला पुत्र गणेशा जाति माली निवासी मालियो का गोलिया तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. बाबूराम पुत्र भलाराम जाति माली निवासी मालियो का गोलिया तहसील सांचौर जिला जालोर।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

1. देवू पत्नी रामजी फौत के कायम मुकाम:
   1/1. भीखी पुत्री रामजी पत्नी द्वारका राम, जाति माली निवासी निंबज नारायणपुरा तहसील चितलवाना जिला जालोर।
   1/2. रतनाराम पुत्र रामजी
   1/3. पेमी पुत्री रामजी पत्नी सांवलाराम, जाति माली निवासी नर्मदा कॉलोनी सांचौर जिला जालोर।
   1/4. भगवानाराम पुत्र रामजी
   1/5. सवाराम पुत्र रामजी
   जातियान माली, निवासीगण मालियों का गोलिया, तहसील सांचौर, जिला जालोर राजस्थान।
2. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा–सांचौर, जिला–जालोर, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2023 बअनवान देवू बनाम भला में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.2024 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963**

**पैरोकार:–**

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

## निर्णय

**दिनांक: 29.05.2026**

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2023 बअनवान देवू बनाम भला में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2024 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 देवू पत्नी रामजी (वादीया) ने सहायक कलेक्टर सांचौर के यहा वाद बाबत् विभाजन खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम. मालियों का गोलिया, पटवार हल्का चौरा के खाता संख्या 61 खसरा संख्या 733 रकबा 2.1700 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादीया के बंट व कब्जा काश्त की भूमि का हिस्सा 09/217 अर्थात रकबा 0.09 हैक्टेयर है व प्रतिवादी संख्या 01 भला (अपीलार्थी) का हिस्सा 90/217 अर्थात रकबा 0.9 हैक्टेयर है। प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 118/217 अर्थात रकबा 1.18 हैक्टेयर आया हुआ है। वादीया के बंट की भूमि रकबा 0.09 हैक्टेयर जो नक्शा परिशिष्ट 'अ' में पीले रंग से दर्शायी गई है। वादीया के बंट की भूमि पर वादीया का अलग से कब्जा काश्त है तथा खेती बाडी करती है तथा वादीया ने अपने बंट व हिस्से की भूमि पर लगातार खाद डालकर लगातार समतल करवाकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है। इस प्रकार का बंटवाड का दावा वादीया देवू पत्नी रामजी माली ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं अन्य के खिलाफ प्रस्तुत किया जिसपर वाद रजिस्टर्ड हुआ एवं प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने अपना जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम दिनांक 26.07.2024 को पेश किया एवं उस पर वादीया ने काउंटर क्लेम का जवाब पेश नहीं करना चाहा एवं दिनांक 09.10.2024 को सहायक कलेक्टर सांचौर द्वारा वादीया का काउंटर क्लैम का जवाब बंद कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। प्राथमिक डिक्री 04.11.2024 को जारी की गई।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.11.2024 को प्राथमिक डिकी जारी होने के बाद दिनांक 14.11.2024 को देवू पत्नी रामजी माली का स्वर्गवास हो चुका था, जिसकी चिट्ठी (शोक संदेश) की प्रति संलग्न है एवं देवू पत्नी रामजी के वारीसानों ने दिनांक 04.04.2025 को मृत्यु होना बताकर गलत रूप से मृत्यु होना बताया है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिकी जारी करने से पूर्व पक्षकारों के न तो बयान लिये, न ही दस्तावेज प्रदर्श करवायें सिधे दिनांक 09.10.2024 को सिधे ही वादीया के वकील ने काउंटर क्लैम का जवाब पेश नहीं करना बताते हुए उसी रोज प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु पत्रावली दिनांक 04.11.2024 को नियत कर दी एवं दिनांक 04.11.2024 को बगैर वादी एवं प्रतिवादी के बयान लिये एवं बिना दस्तावेज प्रदर्श करवायें हुए निर्णय व डिकी जैर अपील पारित की है अधिनस्थ न्यायालय ने ताबड़तोड़ में रेस्पोडेण्ट को फायदा देने की नियत से बगैर बयान व दस्तावेज प्रदर्श करवायें निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित की है अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2025 को बनवाई उसमें वादी के वारीसानों को दर्शाया है बाबूराम व भलाराम अपीलांट के नाम मात्र दर्ज किये है उनकी उपस्थिति में मौका नहीं देखा है न हीं मौका रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2025 में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किये है न ही मौका रिपोर्ट में नोटिस का हवाला है। मौका रिपोर्ट में नोटिस कमांक व दिनांक भी खाली है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने नियम से परे जाकर बगैर सुनवाई किये बगैर नोटिस दिये मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

देखा है। प्राथमिक डिकी दिनांक 04.11.2024 को जारी की है दिनांक 04.11.2024 से पूर्व कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई है। प्राथमिक डिकी जारी करने के बाद दिनांक 01.08.2025 को मौका रिपोर्ट बनाई है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही नियम विरूद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी देवू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गयी।
2. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलम्ब निहित नहीं है तथा विलम्ब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं है। लिहाजा विलंबकाल माफ किया जाना विधिसंगत होगा। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 26.07.2024 के अंकन अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। दिनांक 09.10.2024 के अंकन अनुसार उक्त प्रकरण वादिया द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश नहीं करना चाहते है, का अंकन कर प्रकरण प्राथमिक डिक्री हेतु दिनांक 04.11.2024 को नियत कर दिनांक 04.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाबदावा व प्रतिदावा प्रस्तुत होने के बावजूद तथा पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा निष्पादित नहीं करने के बावजूद प्रकरण में न तो विवाद्यक कायम किए गए एवं न ही किसी भी पक्षकारान की साक्ष्य ली गयी, बल्कि सीधे अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी।
4. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि यदि वादपत्र में पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र स्वीकार नहीं कर लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जा सकता है। विधिसम्मत राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण सहित किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो विधिविरूद्ध होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2023 बअनवान देवू बनाम भला में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.11.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रकरण में विवाद्यक कायम किए जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली